कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराज

प्रेस विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यस्थता केन्द्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सिविल प्रकिया संहिता जिला न्यायालय मध्यस्थता नियमावली, 2021 के अनुसार वरिष्ठ योग्य (पुरूष एवं महिला) मध्यस्थ को नामित किया जाना है। ऐसे अधिवक्ता, जिनके पास न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हों या सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश या ऐसे वृतिक/विशेषज्ञ, जिनके पास अपने-अपने क्षेत्रा में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि क्षेत्र से सुपरिचित हों। आवेदक अपना आवेदन दिनांक 27.05.2024 से दिनांक 05.06.2024 तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराज में कर सकते हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराज में सम्पर्क करे। यह जानकारी दिनेश कुमार गौतम, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराज द्वारा प्रदान की गयी।

सचिव/एडीजे
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
प्रयागराज।